

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राज0 जयपुर

क्रमांक :- एफ.4 (ई) द्वितीय एसीपी 92/अलेसे-III/

दिनांक :- 23/7/2013

आदेश संख्या 171/2013-14

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.11 (7) वित्त (नियम)/2008 दिनांक 12-09-2008 एवं आदेश संख्या एफ 11 (7) वित्त (नियम) पार्ट- I/2008 दिनांक 06-10-2008 के अनुसरण में निम्नांकित कनिष्ठ लेखाकारों जिन्होंने कनिष्ठ लेखाकार के पद पर 18 वर्ष की निरन्तर सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर ली है, को उनके नाम के सामने अंकित कॉलम संख्या 5 में उल्लेखित दिनांक से कनिष्ठ लेखाकार के पद का द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी) पे बैण्ड-2 (9300-34800) ग्रेड पे 4200/- में स्वीकृत की जाती है :-

क्र.सं.	नाम कनिष्ठ लेखाकार सर्वश्री	मेरिट संख्या/ बैच संख्या	क.लेखाकार पद पर कार्यग्रहण तिथि	द्वितीय एसीपी देय तिथि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1	दीपक कुमार तिवाड़ी	49/92	18.03.1995	18.03.2013	
2	हीरालाल बेनीवाल	64/92	01.03.1995	01.03.2013	
3	पुरुषोत्तम दास अग्रवाल	73/92	08.03.1995	08.03.2013	
4	श्रीमती ममता मलिक	105/92	04.03.1995	04.03.2013	
5	श्रीपाल नागा	121/92	08.03.1995	08.03.2013	
6	सुरेश कुमार टेलर	130/92	13.03.1995	13.03.2013	
7	सुल्तान सिंह यादव	145/92	08.03.1995	08.03.2013	
8	लक्ष्मीपत सोनी	176/92	20.03.1995	20.03.2013	
9	अनिल कुमार देवमुरारी	183/92	07.03.1995	07.03.2013	
10	राजेश कुमार गुप्ता	184/92	26.05.1995	26.05.2013	
11	सुमनेश कुमार शर्मा	187/92	07.03.1995	07.03.2013	
12	नरेश कुमार शर्मा	206/92	04.04.1995	04.04.2013	
13	जीवन राम यादव	207/92	24.03.1995	24.03.2013	
14	ओमप्रकाश गुप्ता	214/92	26.04.1995	26.04.2013	
15	सुनील चौधरी	217/92	01.05.1995	01.05.2013	
16	हरीशंकर सैनी	218/92	09.03.1995	09.03.2013	
17	लखवीर सिंह	224/92	04.03.1995	04.03.2013	
18	लाल खान	228/92	07.03.1995	07.03.2013	
19	हीरा लाल	234/92	09.03.1995	09.03.2013	
20	अशोक कुमार देवड़ा	243/92	08.03.1995	08.03.2013	
21	भंवर लाल जाखड़	250/92	21.03.1995	21.03.2013	

लगातार

22	कमल किशोर सैनी	262/92	03.05.1995	03.05.2013	
23	सुभाष चन्द खण्डेलवाल	263/92	06.03.1995	06.03.2013	
24	सीताराम निर्वाण	273/92	07.03.1995	07.03.2013	
25	मनीराम	281/92	02.06.1995	02.06.2013	
26	पूसराज पूनिया	282/92	07.03.1995	07.03.2013	
27	दयानन्द शर्मा	304/92	09.03.1995	09.03.2013	
28	नरसी राम गुर्जर	312/92	10.04.1995	10.04.2013	
29	अजय कुमार सिंह	322/92	24.03.1995	24.03.2013	
30	हनुमान सिंह	331/92	03.04.1995	03.04.2013	
31	बृजेश कुमार	358/92	05.04.1995	05.04.2013	
32	ओमप्रकाश जांगू	362/92	28.03.1995	28.03.2013	

उक्त कनिष्ठ लेखाकारों को वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प० 14 (88) वित्त/ नियम/2008 दिनांक 31-12-2009 में दी हुई शर्तों के संबंध में संतोषजनक सेवा संबंधी प्रमाण पत्र तथा सन्तान संबंधी घोषणा प्राप्ति के आधार पर आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) स्वीकृत की जाती है।

क्रम संख्या 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 18, 20, 24, 27, 28, 29 एवं 30 पर अंकित कनिष्ठ लेखाकारों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन नियमानुसार उपलब्ध नहीं होने पर गत 9 वर्षों में से 7 वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की उपलब्धता के आधार पर द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति इस शर्त पर स्वीकृत की जाती है कि भविष्य में प्राप्त उक्त अवधि के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जावेगा तथा वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति के बारे में निर्णय लिया जाकर तदनुसार संशोधित कर दिया जावेगा।

उपर्युक्त कनिष्ठ लेखाकारों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 12-09-08 के पैरा 19 के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि संबंधित कर्मचारी संशोधित वेतनमान 2008 में वेतन प्राप्त कर रहा है। इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यक रूप से संबंधित कनिष्ठ लेखाकार की सेवा पुस्तिका में की जावे।


निदेशक

क्रमांक :- एफ.4 (ई) द्वितीय एसीपी 92/अलेसे-III/ 7883-7950 दिनांक :- 23.7.2013
प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष
2. श्री कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय
3. निजी सहायक निदेशक, महोदया।
4. अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I) (गोपनीय शाखा) को प्रेषित कर लेख है कि उक्त कनिष्ठ लेखाकार के भविष्य में वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कोई प्रतिकूल प्रविष्टि प्राप्त होती है, तो उनके प्रकरण को पुनः खोले जाने के प्रस्ताव इस शाखा को प्रेषित करें।
5. एसीपी कम्प्यूटर शाखा/निजी/गार्ड फाईल।


अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II)